

128



LED!

of 20/

न्यायालय श्रीमान् राजकुव गंडल ग्वा'लियर कैम्प सागर म.पु.

शुद्ध मूल्य १०००
११. १६५
१२५

I/निगयनी/सागर/ २५.रा./2017/1589
प्रेमरानी बेवा नर्मदा प्रसाद : फौत

द्वारा वास्तान -

1. मकुन्दी विश्वकर्मा आयु 62 वर्ष तनय स्वः श्री नर्मदाप्रसाद
 2. रामेश्वर आयु 50 वर्ष तनय स्वः श्री नर्मदाप्रसाद
 3. तुलसीराम आयु 48 वर्ष तनय स्वः श्री नर्मदाप्रसाद
 4. हेमन्ती बाई आयु 44 वर्ष पुत्री स्वः श्री नर्मदाप्रसाद
- साकिन सभी ग्राम बम्होरी रेगुवां तहः व जिला सागर

.. आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण

॥ विरुद्ध ॥

म०पु० शासन

.. अनावेदक/उत्तरवादी

पुनरीक्षण आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म.पु.सं. रा.सं. 1959

पुनरीक्षणकर्ता निम्न प्रार्थना करते है:-

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सागर जिला सागर , रा.पु.क. 583/631 वर्ष 2015-16 में पारित, आदेश दिनांक 07.03.2017 के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों का आधारों पर प्रस्तुत है :-

यहकि, पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा एक आवेदन पत्र बंदोबस्त के

B.O.R
15 MAY 2017

144
23-05-17

आर.क.एम.पाठे, अतिरिक्त
... सागर द्वारा प्रस्तुत.
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग,
सागर (म.प्र.)

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / सागर / भू.रा. / 2017 / 1589

प्रेमरानी(मृतक)वारिसान-मकुन्दी आदि विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 58/अ-6-अ/2015-2016 में पारित आदेश दिनांक 07-03-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30-10-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>